संख्या-847/पी0आर0सी0/चौवालिस-1/1989

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों
नोयडा/बीडा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 28 दिसम्बर, 1989।

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों में अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा-विस्तार पर नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति को समाप्त किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को अधिवर्षता आयु पूरी करने के उपरान्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों आदि में पुनर्नियुक्ति अथवा सेवाविस्तार/सेवावृद्धि प्रदान की गयी है, उनकी पुनर्नियुक्ति अथवा सेवाविस्तार, सेवावृद्धि को जनहित में तत्काल समाप्त करके उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाय और इस विषय पर पूर्व निर्गत शासनादेशों को तद्नुसार संशोधित किया जाय।

2-इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय सांविधिक निगमों से संबंधित अधिनियगों, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसियेशन के संबंधित आर्टिकिल तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यमों/निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-41/1975,) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश देते हैं कि जनहित में शासन के उक्त निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक उद्यमों/निगमों आदि में की गयी उक्त प्रकार की

पुनर्नियुक्ति/सेवावृद्धि को तुरन्त समाप्त करके शासन को अविलम्ब सूचित किया जाय।

3- कृपया इस विषय पर पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या-847(1)/पी0आर0सी0/चौवालिस-1/1989, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित सचिवालय के प्रशासनिक अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
(4) कार्मिक अनुभाग-2
(5) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) सचिव, सहकारिता विभाग को इस आशय से कि वे कृपया अपने नियंत्रणाधीन सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में भी प्रसंग नियमों/अधिनियमों/विधियों के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार आदेश जारी करने की कार्यवाही करें।
(7) सचिव, मुख्य मंत्री जी (श्री एस0 ए0 टी0 रिजवी)।

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।